न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

प्रकरण संख्या 100/2025 (GCMS: 2025/411)
(RTI No. : 212172038840589)

योगेश कुमार निवासी वार्ड नं. 07, रजियासर स्टेशन, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
(मोबाईल नम्बर 91167—01323)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी योगेश कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी योगेश कुमार ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 18.08.2025 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी योगेश कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

> 1. The current wage rates fixed for MNREGA workers in Sri Ganganagar for the financial year 2024-25 and 2025-26
> 2. Details of the average daily wages paid to workers under MNREGA in Sri Ganganagar during the last two years
> 3. The reasons cited by the Department for any delay or low wages paid compared to the notified MNREGA wage rates
> 4. Whether any administrative or technical measures have been taken to ensure timely and full wage payments to the workers.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:49:14 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक [illegible]र/[illegible]5/733 दिनांक 17.11.2025 से अपील का जवाब निम्न[illegible] पेश किया है।

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम [illegible] निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 19.08.2025) में मनरेगा योजना बाबत चाही गई सूचना का संबंध पंचायती राज विभाग से होने के कारण प्रार्थी

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आरटीआई प्रकरण संख्या 100 / 2025
(GCMS: 2025/411)
(RTI No. 212172038840589)

का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय के पत्रांक रीडर / सूकाआ / 2025 / 542 दिनांक 01.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को नियमानुसार निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित करते हुए प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक रीडर 543 दिनांक 01.09.2025 द्वारा सूचित कर दिया। अतः प्रथम अपील का जवाब / टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम प्रार्थना पत्र का संबंध इस कार्यालय से नहीं होने, संबंधित विभाग / कार्यालय को नियमानुसार अन्तरित किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय स्तर द्वारा निस्तारण कर दिया गया है। इसलिए तद्नुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील निस्तारित फरमावें।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर से होने के कारण उन्हें हस्तांतरित कर दिया था और अपीलार्थी को सूचित भी किया गया था। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत** मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर **द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है।** इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर के जवाब से असंतुष्ट हो तो उनके सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज़ की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:49:14 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2025 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर